राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(12)डी.एम.ई / ग्रुप–1 / 1996 जयपुर, दिनांक 12 SEP 2017

आदेश

इस विभाग के आदेश कमांक एफ. 1(95)डी.एम.ई / 16 दिनांक 15.02.2017 के द्वारा डॉ. राजेश कुमार मेरिट क्रमांक 113 को वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में किया गया था। डॉ. राजेश कुमार को आदेश जारी होने की दिनांक से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करनी थी।

डॉ. राजेश कुमार ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अभिवृद्धि चाही। इस सम्बन्ध में विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.03.2017 के द्वारा डॉ. राजेश कुमार के कार्यग्रहण काल में दिनांक 14.08.2017 तक की अभिवृद्धि प्रदान कर सूचित किया गया।

डॉ. राजेश कुमार के स्वंय के निवेदन पर कार्यग्रहण हेतु समयावधि में वृद्धि करने के पश्चात भी इनके के द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त वस्तुस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि डॉ. राजेश कुमार नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर नियुक्ति प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है।

डॉ. राजेश कुमार के द्वारा निर्धारित समय में पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनका नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

अतः डॉ. राजेश कुमार के पक्ष में जारी उपरोक्त वर्णित नियुक्ति आदेश दिनांक 15.02.2017 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इस विभाग के आदेश कमांक एफ. 1(95)डी.एम.ई / 16 दिनांक 15.02.2017 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
4. डा. राजेश कुमार पुत्र श्री मोहन लाल, गली नं.–3, रामपुरा, लालगढ़, बीकानेर–334004 (राज)। **(रजिस्टर्ड डाक से)**।
5. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव